न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-442RAAJodhpur2024-244RTA225 Mohanlal ors Vs Omprakash etc

01. मोहनलाल पुत्र श्री समेलराम
02. सहीराम पुत्र भभूतराम
03. मांगीलाल पुत्र मुकनाराम
04. श्यामलाल पुत्र श्री हरीराराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री भीयाराम
2. गिरधारीराम पुत्र श्री भीयाराम
3. नवरतन पुत्र श्री भीयाराम
4. रूपाराम पुत्र श्री भीयाराम
5. रामस्वरूप पुत्र श्री भीयाराम
6. कंचन पुत्री श्री बीरबल
7. गोपालराम पुत्र श्री शिवराम
8. परमेश्वरीदेवी पत्नी श्री बीरबल
9. महेन्द्र पुत्र श्री बीरबल
10. राजेश पुत्र श्री बीरबल
11. शारदा पुत्री श्री बीरबल

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

12. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बिलाड़ा।
13. सरपंच, ग्राम पंचायत लाम्बा, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021 मोहनलाल व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चौदह

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021 मोहनलाल व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 650 रकबा 1.5371 हैक्टेयर, खसरा नं. 661 रकबा 2.5079 हैक्टेयर, खसरा नं. 657 रकबा 1.5047 हैक्टेयर ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 707 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नं. 709 रकबा 2.6293 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 717 रकबा 1.3429 हैक्टेयर में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी. डी.ई.एफ.जी.एच. 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि से गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 1667 तक आवागमन हेतु मौके पर वांछित रास्ता मार्क ए.बी. सी.डी.ई.एफ.जी.एच. ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 एवं तहसीलदार बिलाड़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.12.2021 से होती है। मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2021 में भी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में काश्त कार्य हेतु आने-जाने के लिए वांछित रास्ते को ही वैकल्पिक रास्ता होना माना है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्दो एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 562 से अपीलांट्स के खातेदारी भूमि दूरी को निकटतम बताते हुए विधि-विरुद्ध तरीके से अपीलांट्स के आवेदन को खारिज कर दिया गया, जबकि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ते की दूरी वांछित रास्ते से 66 फीट अधिक बतायी गई है। धारा 251-ए के प्रावधानोंनुसार नया रास्ता न्यूनतम दूरी से दिये जाने का प्रावधान है। इस कारण अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 650, 661 व 657 में सें मौके पर पगडण्डी है, जिससे काश्त हेतु साधनों को नहीं ले जाया सकता है। उक्त पगडण्डी का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है तथा न ही राजस्व नक्शे में तरमीम है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में मत प्रतिपादित किया है कि खसरा नं. 717 ग्राम लांबा के नाम से राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, किंतु ग्राम पंचायत द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भविष्य में उक्त रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जायेगा तथा रास्ते की भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जायेगा। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में सें रास्ता देने का अधिकार राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मत गलत प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि मौके पर पिछले 40-45 वर्षो से रास्ता चल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में भी मौके पर पिछले 40-45 वर्षो से रास्ता चलना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। दौराने बहस अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट जवाब देहिन्दा अप्रार्थीगण को सूचना दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत तैयार की गयी थी, जिसकी विधि में कोई महता नहीं है, उक्ता मौका रिपोर्ट में अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलावट करते हुए अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना ही अपनी मन माफिक रिपोर्ट तैयार करवायी गई थी, जिसका एतराज अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में द्वारा अपीलाधीन आदेश उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं वांछित रास्ता प्रदान किये जाने का आदेश फरमावे। विकल्प में रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह द्वारा जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र में की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण पुनः मौके की विधिसम्मत रिपोर्ट तलब कर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2019 आर.बी. जे.147, 20232(1)आर.आर.टी. 699, अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 2022/254 अनवान बाबुलाल बनाम चेनाराम में पारित निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2023 की निर्णय प्रति पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा नं.562 गैर मुमकिन रास्ते से निकटतम है। रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में सें किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है। खसरा नं. 710 एवं 716 भी अपीलांट्स की खातेदारी के खसरे है, किंतु अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स को परेशान करने के उद्धेश्य से खसरा नं. 657 को आधार बनाकर रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में सें रास्ता मांगा है। अपीलांट्स द्वारा ग्राम पंचायत को विचारण न्यायालय मे पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। कानूनन राजस्व न्यायालय को आबादी भूमि में सें रास्ता घोषित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बिलाड़ा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.12.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 650, 661 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 562 में से निकलने वाला रास्ता लगता है। अपीलांट्स उक्त रास्ते से वर्तमान में आवागमन करते है, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। अपीलांट्स द्वारा अपने आवागमन हेतु गैर मुमकिन आबादी में सें रास्ता चाहा है तथा ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र किया है। इस संबंध में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि राजस्व न्यायालय को आबादी भूमि में सें रास्ते देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट्स के वर्तमान आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से विचारण न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते के उपलब्ध होने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अदालत हाजा सहमत होने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर